लोकसभा / राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुति के लिए दस्तावेज

AUTHENTICATED

डॉ० राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार

वर्ष 2018–19 की अवधि में डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा की समीक्षा

पृष्ठभूमि

डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (भूतपूर्व राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय) मूल रूप से 1905 में भारत के प्रथम इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्येश्य पूरे देश के लिए कृषि गतिविधियों, अनुसंधान और शिक्षा का एक केंद्र बनने के साथ भारत और विदेशों से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं आकर्षित करना था। वर्ष 2016 में इस विश्वविद्यालय का केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में रूपांतरण किया गया ताकि कृषि और संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान को आगे बढ़ाया जाय। विश्वविद्यालय द्वारा उच्च कोटि की गुणवत्ता वाले मानव संसाधन विकसित किया जा रहा है तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार कार्य में नेतृत्व प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय आमतौर पर समूचे देश के लिए एवं विशेष तौर पर बिहार राज्य में कृषक समुदाय की सेवा करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है

उपलब्धियाँ

डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा एक जीवंत शिक्षण संस्थान के रूप में उभर रहा है, जिसका मुख्य केन्द्र विन्दू गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना, परिस्थिति के अनुरूप टिकाउ कृषि तकनीक का विकास एवं किसान समुदाय को उत्कृष्ट आजीविका सुनिश्चित करना है। वर्ष 2018–19 में विश्वविद्यालय में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसकी अभिव्यक्ति छात्रों की संख्या एवं विविधता में वृद्धि, एक नए यूजी कार्यक्रम की शुरुआत, छह नए पीजी कार्यक्रम एवं कई नई किस्मों और प्रौद्योगिकियों के विकास के रूप में परिलक्षित होती है। समीक्षा अवधि के दौरान विश्वविद्यालय की मुख्य उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं

शिक्षा

विश्वविद्यालय ने वर्ष 2018–19 के दौरान शैक्षणिक मोर्चे पर उत्कृष्ट प्रगति की है। एक यूजी प्रोग्राम और छह पीजी प्रोग्राम की शुरुआत के साथ, छात्र क्षमता 307 से बढ़ाकर 609 कर दी गई, यूजी के छह विषयों में तथा पीजी के 24 विषयों में, एवं पी.एच.डी. के 9 विषयों में कुल 555 छात्रों का नामांकन हुआ जिसमें 21 राज्यों के छात्रों का प्रतिनिधित्व मिला। इस विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाले कुल पैंसठ छात्रों ने अलग–अलग राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा (नेट / एसआरएफ / जेआरएफ / गेट) में सफलता पाई है। नामांकन प्रक्रिया को केंद्रीकृत, कैशलेस, परेशानी मुक्त, एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत के कारण नामांकन में आसानी एवं समय की बचत हुई। क्लास रूम को स्मार्ट क्लास रूम में पोडियम सुविधा के साथ विकसित किया गया और डिजिटल नोटिस बोर्ड भी प्रतिस्थापित किया गया। सॉफ्ट स्किल विकास और कैरियर काउंसलिंग के लिए कार्यकम आयोजित किया गया, साथ ही प्लेसमेंट सेल को सुदृढ किया गया।

अनुसंधान

विश्वविद्यालय विभिन्न कृषि–पारिस्थितिकी और सामाजिक–आर्थिक स्थिति के अनुरूप किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फसल की किस्मों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2018–19 के दौरान, चार उन्नत फसल किस्मों को जारी किया गया था यथा–राजेंद्र कौनी (फॉक्सटेल), राजेंद्र नीलम (एरोबिक धान) को सीवीआरसी द्वारा जारी किया, गया इसके अलावा पाँच प्रौद्योगिकियॉ विकसित की गई जैसे– राजेंद्र मत्स्यबंधु, नाव आधारित सौर उर्जा संचालित सिंचाई प्रणाली, सौर ऊर्जा से संचालित सबमर्सिबुल पंप, पपीता रोगों का प्रबंधन, और घरेलू एवं प्रक्षेत्र अपशिष्ट प्रबंधन। इस दौरान बारह नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

प्रसार शिक्षा

विश्वविद्यालय अपने सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचे के द्वारा विभिन्न प्रसार कार्यक्रम जैसे – प्रशिक्षण, प्रदर्शन, किसान मेला, गोष्ठी आदि के माध्यम से कृषक समुदाय की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए समर्पित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, उनचास हजार तीन सौ छत्तीस किसानों को प्रशिक्षित किया गया, तीन किसान मेले विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए, पांच हजार सात सौ चार FLDs और अठत्तर OFT आयोजित किए गए।

प्रशासनिक

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप विश्वविद्यालय में प्रशासनिक सुधार शुरू किया गया है। प्रतिवेदित अवधि में चार सेवा संवर्ग का निर्माण किया गया, और सभी सेवाओं के लिए नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए नियम एवं विनियमन को अंतिम रूप दिया गया, पदोन्नति प्रक्रिया, डीपीसी और कैस के माध्यम से पदोन्नति, 56 शिक्षकों की नियुक्ति, कृषि विज्ञान केन्द्र में 32 एसएमएस और 63 तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति की गई। साथ हीं कामकाजी महिलाओं, छात्राओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली / गैर–भेदभाव सेल का निर्माण किया गया।

आधारभूत संरचना

विश्वविद्यालय मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण एवं नई संरचना का निर्माण कर रही है जिससे शिक्षण कार्य हेतु अत्याधुनिक सुविधा प्रदान की जा सके। ढोली परिसर में छात्रा छात्रावास का निर्माण पूरा हो गया तथा पूसा परिसर में छात्र–छात्रा के लिए छात्रावास का नवीनीकरण, आवासीय क्वार्टर, सड़क का निर्माण किया गया तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान एवं वाणिकी महाविद्यालय, पिपराकोठी, साथ हीं केला अनुसंधान केन्द्र, गोरौल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान चार नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए ।

वित्तीय

विश्वविद्यालय ने उचित रूपमें नियमों को लागू करने और कर्मचारियों के सभी दावों के त्वरित निपटारा के लिए पर्याप्त ध्यान दिया है, पीएफएमएस को लागू किया गया, खरीद को GeM पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया गया तथा खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया, परामर्श, परीक्षण, लाइसेंसिंग, प्रशिक्षण, उत्पादों की बिक्री, शिक्षण शुल्क आदि के माध्यम से 6.41 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया और समीक्षाधीन अवधि के दौरान 100 प्रतिशत बजट का उपयोग किया गया।

पुरस्कार / मान्यता

राष्ट्रीय स्तर पर उनतीस वैज्ञानिकों को पुरस्कार मिला।

डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर का वर्ष 2018-19 के लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार (अंकेक्षण) पटना के द्वारा माह फरवरी, मार्च 2020 में डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम 2016 के धारा (1) के उपधारा (2) मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया। अंकेक्षण महालेखाकार (अंकेक्षण) पटना के पत्र संख्या DGAC/LKO/ Patna-Branch/SAR-RPCAU/2018-19 Dt 04.09.2020 के द्वारा अंतिम अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया जिसमें 8 टिप्पणियां की गई थी। इन आठ टिप्पणियों का अनुपालन तैयार कर सम्बद्ध प्राधिकार को समर्पित कर दिया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित सुझावों को वर्ष 2019–20 एवं उससे आगे सही तरीके से अनुसरण किया गया। कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग के द्वारा 129.56 करोड़ रूपये सहायता अनुदान विश्वविद्यालय को विमुक्त किया गया था, जिसका सम्पूर्ण उपयोग किया जा चुका है।

डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर का वर्ष 2018–2019 का अंकेक्षित वार्षिक लेखा जोखा संसद के दोनों सदनों में रखा जाना था लेकिन कुछ कारणों से नियत समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

संसद में वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए अंकेक्षित वार्षिक लेखा जोखा रखने में विलम्ब की विवरणी नीचे दिया गया है:–

CAG द्वारा वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय, प्रबंध बोर्ड की स्वीकृति।	22-11-2019
अकाउंटेंट सेंट्रल (ऑडिट), पटना को वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना।	12-12-2019
महालेखाकार, पटना से ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट की प्राप्ति।	28-04-2020
महालेखाकार, पटना को ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट पर पैरावार टिप्पणियों का प्रस्तुतीकरण।	06-05-2020
महालेखाकार, पटना से अंतिम (सेपरेट) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति।	19-09-2020
लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड की स्वीकृति।	22-12-2020
कुलाध्यक्ष (Visitor) की मंजूरी के लिए वार्षिक खातों का प्रस्तुतीकरण।	----
कुलाध्यक्ष (Visitor) की स्वीकृति की प्राप्ति।	----
वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियों की प्राप्ति।	----
संसद मे उन्हें रखने के लिए मुद्रित प्रतियों को डेयर (DARE) में प्रस्तुत करना।	----

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर के लेखा से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन।

<table>
<tr><th>संदर्भ पैरा</th><th>अवलोकन उपचारात्मक कार्रवाई</th><th>उपचारात्मक कार्रवाई</th></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>हम आगे प्रतिवेदित करते है कि-
(क) तुलन पत्र (बैलेंस सीट)
(क) (1)अनुसूची-4 अचल संपत्ति रू 372.15 करोड़
(क) (1.1)पूंजीगत कार्य प्रगति: रू 117.41 करोड़
विश्वविद्यालय ने पूजीगत कार्य प्रगति से रू0 8.44 करोड़ के निर्माण कार्य का पूंजीकरण नहीं किया यद्यपि ये कार्य वर्ष 2018-19 में पूरा कर लिया गया और विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न है:-
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>कार्य का नाम</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सड़क कार्य, पूसा</td><td>46217001</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रेस भवन का नवीनीकरण, टी0सी0ए0ढ़ोली</td><td>5019365</td></tr>
<tr><td>3</td><td>चाहरदीवारी का निर्माण और विभिन्न फॉर्म में बाड़ लगाना, बिरौली पूसा</td><td>33173179</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>84409545</td></tr>
</table>
जिसके फलस्वरूप अचल सम्पति रू0 8.44 करोड़ से कम हो गया एवं पूंजीगत कार्य प्रगति समान राशि से बढ़ गया। नतीजतन मूल्यह्रास भी रू0 30.75 लाख कम प्रभारित किया गया।</td><td>नोटेड
वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूंजीकृत किया गया है, और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पहले की अवधि के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में ह्रास लगाया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(क) 1.2-
विश्वविद्यालय ने रू 5.13 करोड़ की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यो को पूरा किया जो पूंजीगत प्रकृति के थे। इस राशि को अचल सम्पति के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए मगर विश्वविद्यालय ने इस राशि को प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत मरम्मत एवं रखरखाव(अनुसूची-9) में दर्शाया।
जिसके फलस्वरूप रू0 5.13 करोड़ से अचल सम्पति(अनुसूची-4) कम हो गया एवं प्रशासनिक व्यय:(अनुसूची-9) उतनी ही समान राशि से बढ़ ही गया। नतीजतन मूल्यह्रास भी रू0 36.14 लाख कम प्रभारित किया गया।</td><td>नोटेड
वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूंजीकृत किया गया है, और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पहले की अवधि के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में ह्रास लगाया गया है। और उसी को वित्तीय वर्ष 2019-20 में कॉर्पस फंड के विरूद्ध समायोजित किया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(क) 1.3 एम0एच0आर0डी0 के लेखाओं के एकसमान प्रारूप के अनुसार सीमित लाभ को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोनिक जर्नल्स (ई-जर्नल्स) को लाइब्रेरी पुस्तको से अलग किया गया है जिसको प्रदत्त ऑनलाईन पहुँच से प्राप्त किया जा सकता है। ई-जर्नल्स मूर्त रूप में</td><td>वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूंजीकृत किया गया है, और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पहले की अवधि</td></tr>
</table>

	नही है लेकिन अस्थायी रूप से खर्च की मात्रा और अकादमिक तथा अनुसंधान कर्मचारियों से अर्जित शाश्वत ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त लाभ के आधार पर पूजीकरण किया जाता है लाइब्रेरी पुस्तक के संबंध में प्रदान किए गए 10 प्रतिशत के मूल्यह्रास के विरूद्ध 40 प्रतिशत की उच्च दर से ई-जर्नल्स पर मूल्यहास प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय ने जर्नल्स की लाइब्रेरी सदस्यता की राशि रू020.93 लाख का लेखांकन अकादमिक व्यय:(अनुसूची-10) के अंर्तगत किया है। इसे अचल सम्पति के अंर्तगत अमूर्त संपत्ति में दर्शाया जाना चाहिए। जिसके फलस्वरूप रू 20.93 लाख से अचल सम्पत्ति कम हो गया एवं अकादमिक व्यय उतनी ही समान राशि से बढ़ गया। नतीजतन, मूल्यहास भी रू0 8.37 लाख कम प्रभारित किया गया।	के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में ह्रास लगाया गया है और उसी को वित्तीय वर्ष 2019-20 में कॉर्पस फंड में समायोजित किया गया है।
	(क)2-चालू देयता और प्रावधान(अनुसूची-2): रू0 37.17 करोड़ (क)2.1-सभी ज्ञात देनदारियों और नुकसान के लिए प्रावधान किया जाएगा, हांलाकि यह राशि प्रर्याप्त सटीकता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है। प्रावधान की राशि उपलब्ध जानकारी के आलोक में केवल एक सर्वोत्तम अनुमान का प्रतिनिधित्व करती है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (रा.प.नि.नि.लि.)के माध्यम से निर्माण कार्य कार्यान्वित किया। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम ने फरवरी 2019 में ब्यॉज हॉस्टल (6 ब्लॉक) आर0ए0यु0पूसा समस्तीपुर के आर/आर निर्माण कार्य हेतु रू0 1.77 करोड़ का विपत्र प्रस्तुत किया। उसी का भुगतान वर्ष 2019-20 में किया गया था हालांकि इसके लिए कोई प्रावधान वर्ष 2018-19 के वाषिक लेखा में नही किया गया है। जिसके फलस्वस्प चालू देयता और प्रावधान (अनुसूची-02) एवं पूजीगत कार्य प्रगति रू0 1.77 करोड़ से कम हो गया।	यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लागू किया जा रहा है।
	ख आय एवं व्यय खाता ख 1 मूल्यह्रास- रू 9.29 करोड़ (ख)1.1.-विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यह्रास रू 4.93 करोड़ के बजाय रू0 4.87 करोड़ प्रभारित किया गया है जिसके फलस्वरूप रू05.29 लाख से मूल्यहास कम हो गया और व्यय उतनी ही राशि से आय बढ़ गया। (ख) 1.2.-महत्वपूर्ण लेखा नीति और खातों के टिप्पणियों के अनुसार, प्लांट एवं मशीनरी पर मूल्यहास प्रति वर्ष 6% की दर से प्रभारित किया जाना है। विश्वविद्यालय ने दिनांक 31/03/2019 तक को प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य रू 05.79 करोड़ दर्शाया है। मुल्यहास रू 34.74 लाख (6%प्रति वर्ष) के बजाय रू0 85.40 लाख (14.75 प्रति वर्ष) प्रभारित किया गया था। जिसके फलस्वरूप मूल्यहास रू0 50.66 लाख से बढ़ गया और अचल सम्पत्ति उसी राशि से कम हो गया साथ ही साथ व्यय पर आय रू0 50.66 लाख से बढ़	नोटेड- खातो के टिप्पणियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुधार कर मूल्य ह्रास लगाया गया है।

	गया।	
	(ग) सामान्य देय सेवानिवृति लाभ (ग)1.-संस्थान अपनी लेखांकन नीति सं0 07 के आधार पर सेवानिवृति लाभ का लेखांकन रोकड़ आधार पर किया जाता है जो एम0एच0आर0डी0 द्वारा निर्धारित लेखा के प्रारूप एवं आई0सी0ए0आई0 द्वारा जारी लेखा मानक 15 का उलंघन है सेवानिवृति लाभ बीमांकिक आधार पर किया जाना चाहिए।	उल्लेखनीय है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।
	(घ) अनुदान सहायता विश्वविद्यालय को वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि और किसान मंत्रालय एवं राज्य सरकार से रू 226.54 करोड़ रूपये का अनुदान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष का अवशेष राशि रू0 39.84 करोड़ था। कुल रू0 266.38 करोड़ में से विश्वविद्यालय ने रू 229.91 करोड़ पूजीगत व्यय रू0 59.92 करोड़ और राजस्व व्यय (169.99 करोड़)का उपयोग किया, जबकि रू0 36.47 करोड़ शेष रहा।	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (डीए0आरई0)नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान में 100 प्रतिशत उपयोग किया गया है। हालांकि, अन्य फंडिंग एजेंसियों और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान का उपयोग संबंधित फंडिग ऐजेंसी द्वारा अनुदानों के देर से जारी होने के कारण पूरी तरह से राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

सहायक निबंधक (अंकेक्षण)
डॉ० रा० प्र० के० कृ० विश्वविद्यालय
पूसा, समस्तीपुर (बिहार)

Comptroller
Dr. R. P. C. A. U., Pusa
Samastipur (Bihar)

5987
17-12-19

Proceedings on the proposal regarding approval of Annual Account of the University for the financial year 2018-19 through circulation system circulated vide No. 894/Regr./RPCAU, Pusa dated 22.11.2019

Consent received from the following members:-

1	Dr. R. C. Srivastavs Vice-Chancellor RPCAU, Pusa	Chairman
2	Dr. T. P. Singh,Former Processor Ahilya Sadan, Ward No.-15,North Islamia Chauk Gangjala, Saharsa-852 201, Bihar	Member
3	Dr. Narendra Singh New Professor Colony, Main Road (Near Sports Complex), Jehanabad	Member
4	Sri Kaushal Kishor Mishra Vill.-Kaijiya Vishnupur,PO-Chandauli Samastipur, Bihar	Member
5	Dr. K. M. Singh,Dean Faculty of Agriculture, RPCAU, Pusa.	Member
6	Dr. Madhu Sudan Kundu,Director Extension Education, RPCAU, Pusa	Member

On the basis of consent received from the members of the Board of Management, following resolution is adopted unanimously:-

"In light of the recommendation of the Finance committee dated 24.10.2018, the Annual Account for the financial year 2018-19, be and hereby, is approved to be audited by Indian Audit & Accounts Department, Patna. The Annual Accounts along with audit report should be put up before the Board of Management for observation and final approval"

APPROVED

(R.C.Srivastava)
Vice-Chancellor

(Ravi Nandan)
Registrar

No. 927 /Regr./RPCAU, Pusa the 11th Dec., 2019

Copy for information and necessary action to:

1 All the members of the Board of Management, Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University,Pusa(Samastipur) Bihar
2 The Secretary, Department of Agricultural Research & Education, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.
3 The OSD, Office of the Secretary to the President, Rashtrapati Bhawan,CA-II Section, New Delhi-110 004
4 Prof. P. K. Mishra, Chancellor, Tapasya,331/A, Sri Aurobindo Nagar, Chandrasekharpur, Bhubaneswar-751 016
5 Dy. Secretary (Estt.), Department of Agricultural Research & Education, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.
6 Comptroller/Dy. Registrar (Establishment)/Dy. Registrar (Academic)/ Dy. Registrar (Recit.)/Secy. to VC. RPCAU, Pusa
7 Section Officer/Concerned file. Office of the Registrar, RPCAU, Pusa.

Registrar

No. 723 /Regr./RPCAU

Dated- 04 Jan., 2021

Comptroller
RPCAU, Pusa

Subject: Action Taken Report of 14th meeting of BOM- regarding

Please find enclosed herewith a copy of the relevant portion of the proceedings of the 14th meeting of the Board of Management held on 22.12.2020 (virtual mode). It is requested to go through the resolution regarding approval of compliance of Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of RPCAU, Pusa for the year 2018-19. In this context it is advised that kindly make available the copy of the same (ATR) to the undersigned to be included in Action Taken Report of 15th BOM.

Encl: As above.

02/01/2021

(P. P. Srivastava)
Registrar

14.4 **Approval of compliance of Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of RPCAU, Pusa for the year 2018-19.**

After due discussion the following resolution was adopted unanimously:

"Resolved that the separate audit report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of RPCAU, Pusa for the year 2018-19, be and hereby, is approved on the recommendation of the Finance Committee of the University".

Further, resolved that the copy of the Separate Audit Report of the year 2018-19 along with *Annual accounts* may be submitted to the Hon'ble Visitor of the University and also be submitted to the Govt. of India for laying down before both the Houses of Parliament as *per provisions of clause 2, Section-31of RPCAU Act, 2016*.

Attested

02/1/2021

Registrar
Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University
Pusa (Samastipur)-848125, Bihar